भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2240

15 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: ड्रोन प्रौद्योगिकी

2240. श्री श्रीरंग आप्पा बरणे:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माने:

श्री रवि किशन:

सुश्री सुनीता दुग्गल:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

श्री सु. थिरूनवुक्करासर:

श्री बिद्युत बरन महतो:

एडवोकेट अदूर प्रकाश:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री संजय सदाशिवराव मंडलीक:

श्री प्रतापराव जाधव:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रयोजनों हेतु ड्रोन खरीदने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजन हेतु कोई निधि निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष हेतु स्वीकृत और अगले दो वर्षों के लिए स्वीकृत की जाने वाली संभावित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार किसानों और इस क्षेत्र के अन्य हितधारकों को ड्रोन खरीदने के लिए कोई राजसहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने कृषि में ड्रोन के उपयोग के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या ड्रोन उपयोगकर्ता को कोई भी संचालन शुरू करने से पहले डीजीसीए से एक विशिष्ट पहचान संख्या और मानव रहित विमान ऑपरेटर परमिट प्राप्त करना होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)</u>

(क) से (च): कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को देखते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस क्षेत्र के सभी हितधारकों के परामर्श से, कीटनाशक और पोषक तत्व अनुप्रयोग में ड्रोन के उपयोग के लिए दिसंबर 2021 में मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) पब्लिक डोमेन में जारी की हैं, जिसमें ड्रोन के प्रभावी और सुरक्षित संचालन के लिए संक्षिप्त अनुदेश दिए गए हैं। इस प्रौद्योगिकी

को किसानों और इस क्षेत्र के अन्य हितधारकों के लिए किफायती बनाने के लिए, किसानों के खेतों पर इसके प्रदर्शन के लिए एसएमएएम के तहत आकस्मिक व्यय के साथ साथ, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन की खरीद हेतु लागत के 100% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ड्रोन अनुप्रयोग के माध्यम से कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए, किसान सहकारी समिति, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और ग्रामीण उद्यमियों के तहत मौजूदा और नए कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सीएचसी) द्वारा ड्रोन खरीद के लिए ड्रोन और इसके संबन्धित पुर्जों की मूल लागत के 40% की दर से या 4 लाख रुपये तक, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीएचसी की स्थापना करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन की लागत के 50% की दर से अधिकतम 5.00 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना के तहत विभिन्न पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए निधियां जारी की जाती है तथा चालू वर्ष के दौरान इसके लिए अब तक 2.25 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने भारत में ड्रोन के उपयोग और प्रचालन को विनियमित करने के लिए 'ड्रोन नियम 2021' प्रकाशित किया है, जिसका सभी ड्रोन प्रचालन के लिए अनुपालन किया जाना है तथा इन नियमों के अनुसार ड्रोन प्रचालन के लिए विशिष्ट पहचान संख्या आवश्यक है। तथापि, मानव रहित विमान ऑपरेटर परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

****